

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2016/माघ 1, 1937

No. 178]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016/MAGHA 1, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2016

सं. 33/2015-2020

विषय: विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.18 में संशोधन।

का. आ. 202(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन करती है :—

2. **विदेश व्यापार नीति 2015-20** के पैरा 4.18 में निम्नलिखित उप-पैरे को शामिल किया गया है:—

4.18 ऐसी मदें जो निषिद्ध/प्रतिबंधित/एसटीई हैं, की आयात योग्यता/निर्यात योग्यता

(vi) प्राकृतिक रबड़ का आयात दिनांक 21 जनवरी, 2016 को अथवा इसके पश्चात् जारी अथवा पुनः प्रमाणित किए जाने वाले अग्रिम प्राधिकार पत्रों के तहत 21 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के दौरान अनुमत नहीं होगा।

3. **इस अधिसूचना का प्रभाव:**

दिनांक 21.01.2016 को अथवा इसके पश्चात् जारी अथवा पुनः प्रमाणित अग्रिम प्राधिकार पत्रों के तहत प्राकृतिक रबड़ के आयात की सुविधा तत्काल प्रभाव से 31.03.2016 तक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

[फा. सं. 01/94/180/352/एम 13/पीसी-4]

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st January, 2016

No. 33 /2015-2020**Subject: Amendment in Paragraph 4.18 of the Foreign Trade Policy 2015-20.**

S.O. 202(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby amends the following provisions of FTP 2015- 20:-

2. The following sub-paragraph is inserted in para 4.18 of FTP 2015-2020 :

4.18 Importability/Exportability of items that are Prohibited/Restricted/STE

(vi) Import of Natural Rubber will not be allowed during the period 21st January 2016 to 31st March 2016 under Advance Authorisations to be issued or revalidated on or after 21st January, 2016.

3. **Effect of this Notification:**

Facility for import of Natural Rubber under Advance Authorisations issued or revalidated on or after 21.01.2016 will not available with immediate effect up to 31.03.2016.

[F. No. 01/94/180/352/AM13/PC-4]

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade